MAINS MATRIX

विषयसूची

1. **असम, राजस्थान और केरल में बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि**
2. **भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथनेशिया) में सुधार**
3. **भारतीय न्यायपालिका की आलोचना पर प्रतिक्रिया**
4. **अनुपालन सुनिश्चित करना**

असम, राजस्थान और केरल में बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि

डेटा स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
समय अवधि: 2020–2023

---

1. 📈 समग्र प्रवृत्ति (Overall Trend)

2023 में बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई —
विशेष रूप से **असम, राजस्थान और केरल** में।

भारत में समग्र वृद्धि (2020–2023): 29%

🔷 **मुख्य तथ्य:**
मामलों की संख्या में वृद्धि का अर्थ हमेशा अपराधों में वास्तविक वृद्धि नहीं होता —
यह **रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार** को भी दर्शा सकता है।

---

2. राज्यवार सारांश

राज्य	बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि (%) (2023 बनाम औसत 2018–2022)	मुख्य बिंदु
असम	+99.5%	बाल विवाह के मामलों में कानूनी पुनर्वर्गीकरण के बाद भारी वृद्धि (बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत)।
राजस्थान	+70.1%	मुख्य रूप से अपहरण और POCSO अधिनियम के तहत मामलों में वृद्धि।

राज्य	बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि (%) (2023 बनाम औसत 2018–2022)	मुख्य बिंदु
केरल	+105.9%	वृद्धि मुख्यतः POCSO अधिनियम के अंतर्गत मामलों में।

3. असम – बाल विवाह एवं कानूनी पुनर्वर्गीकरण

असम में दर्ज मामलों की संख्या **लगभग दोगुनी** हो गई —
(औसत 2018–2022: ~5,100 मामले → 2023: 10,000 से अधिक मामले)।

मुख्य कारण: बाल विवाह के मामलों का पुनर्वर्गीकरण।

पहले ऐसे मामले **POCSO अधिनियम** के अंतर्गत दर्ज होते थे।
2022 से इन्हें **बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA)** के अंतर्गत दर्ज किया जाने लगा।

बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत मामले:

वर्ष मामले

2020 138

2021 155

2022 163

2023 5,267

2023 में यह कुल बाल अपराधों का 51.7% हिस्सा था।

4. राजस्थान – POCSO और अपहरण के मामले बढ़े

राजस्थान में दर्ज मामले **70% बढ़े** —
(औसत 2018–2022: ~6,200 → 2023: >10,500 मामले)।

मुख्य वृद्धि **POCSO अधिनियम** और **अपहरण/अभियान** के मामलों में हुई।

POCSO अधिनियम के तहत:

वर्ष	प्रतिशत (कुल मामलों में हिस्सा)	मामले
2020	3.7%	244
2021	7.8%	601
2022	39.8%	3,713
2023	34%	3,602

अपहरण/अभियान के मामले:

वर्ष	मामले	प्रतिशत (2023 में)
2020	2,769	

वर्ष	मामले	प्रतिशत (2023 में)
2021	3,593	
2022	4,339	
2023	5,738	**54.2%**

5. केरल – POCSO मामलों में उछाल

केरल में दर्ज मामले **106% बढ़े** —
(औसत 2018–2022: ~2,800 → 2023: >5,800 मामले)।

मुख्य वृद्धि **POCSO अधिनियम के उल्लंघनों** के कारण हुई।

वर्ष	मामले	कुल अपराधों में हिस्सा
2020	2,163	54.8%
2021	2,647	57.8%
2022	3,334	59.1%
2023	4,295	74.2%

6. इन्फोग्राफिक विवरण

मानचित्र 1:
2023 बनाम औसत (2018–2022) में बच्चों के खिलाफ अपराधों में प्रतिशत परिवर्तन।

- **>50% वृद्धि:** असम, राजस्थान, केरल
- **<50% वृद्धि या गिरावट:** अन्य राज्य
- केंद्रशासित प्रदेश (जैसे दिल्ली) शामिल नहीं।

चार्ट 2 (असम):
बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) के तहत मामलों में वृद्धि –
2023 में कुल अपराधों का 51.7%।

चार्ट 3 (राजस्थान):
POCSO अधिनियम के तहत मामलों का हिस्सा – 34% (2023)।

चार्ट 4 (राजस्थान):
अपहरण/अभियान के मामलों का हिस्सा – 54.2% (2023)।

चार्ट 5 (केरल):
POCSO मामलों का हिस्सा लगातार बढ़कर 74.2% (2023) हुआ।

7. व्याख्या (Interpretation)

मामलों की वृद्धि का अर्थ हमेशा अपराधों की वास्तविक वृद्धि नहीं है।
यह दर्शा सकता है:

- रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार।
- अपराधों का पुनर्वर्गीकरण (जैसे असम में बाल विवाह)।
- POCSO प्रावधानों के सख्त प्रवर्तन।

2020–2023 की सामान्य प्रवृत्ति:

- तीनों राज्यों में **POCSO संबंधित अपराधों में वृद्धि**।

- **डिजिटल जागरूकता, मीडिया कवरेज** और **सामाजिक संवेदनशीलता** से रिपोर्टिंग में सुधार।
- पुलिस और प्रशासन की सक्रियता बढ़ी।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

डेटा से पता चलता है कि **असम, राजस्थान और केरल**—इन तीनों राज्यों में
बच्चों से संबंधित अपराधों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।

हालांकि इसका एक हिस्सा **प्रशासनिक या वर्गीकरणीय परिवर्तन** से जुड़ा है,
लेकिन आंकड़े बच्चों की बढ़ती **असुरक्षा** और **निवारक तंत्र, सामाजिक जागरूकता और न्यायिक संवेदनशीलता** की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

HOW TO USE IT

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर – I (भारतीय समाज)

यह विषय **भारतीय समाज की संरचना और सामाजिक समस्याओं** से सीधे जुड़ा है,
विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक विषमताओं को उजागर करता है।

---

1. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ एवं सामाजिक सशक्तिकरण (Salient Features & Social Empowerment)

कैसे उपयोग करें:

यह डेटा दर्शाता है कि भारत में सामाजिक समस्याएँ **समान रूप से वितरित नहीं हैं**,
बल्कि अलग-अलग राज्यों में **अलग-अलग प्रकार की सामाजिक विकृतियाँ** दिखाई देती हैं।

- **क्षेत्रीय विषमताएँ:**
  असम में बाल विवाह, केरल में POCSO मामलों की वृद्धि,
  और राजस्थान में अपहरण/अभियान से संबंधित अपराध —
  यह सब दर्शाते हैं कि भारत में सामाजिक समस्याएँ **क्षेत्रीय संदर्भों में भिन्न रूप में प्रकट होती हैं।**
  उत्तर लेखन में यह दृष्टिकोण "वन-साइज़-फिट्स-ऑल" विश्लेषण से गहराई जोड़ता है।
- **महिला एवं बाल सशक्तिकरण:**
  यह डेटा सीधे तौर पर **बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण** से संबंधित है —
  जो समाज के सबसे **संवेदनशील वर्गों** में आते हैं।
  इससे यह तर्क सशक्त बनता है कि बाल संरक्षण के लिए **राज्य-विशिष्ट, लक्षित नीतियों** की आवश्यकता है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर – II (शासन एवं सामाजिक न्याय)

यह डेटा **शासन की गुणवत्ता** और **कानूनों के कार्यान्वयन** का प्रत्यक्ष रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता है।

---

1. विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप (Policies and Interventions)

कैसे उपयोग करें:

यह डेटा बताता है कि किस प्रकार कानूनों का प्रभाव उनके प्रवर्तन और प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करता है।

- **POCSO अधिनियम का मूल्यांकन:**
  केरल में POCSO अधिनियम के अंतर्गत मामलों की हिस्सेदारी (74.2%)
  यह दर्शाती है कि इस वृद्धि को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है —
  (i) अपराध निवारण में कमी, या
  (ii) रिपोर्टिंग एवं प्रवर्तन में सुधार।
  यह विश्लेषण यह दिखाता है कि डेटा एक साथ **समस्या और समाधान दोनों** को प्रतिबिंबित कर सकता है।

- **नीति कार्यान्वयन का उदाहरण:**
  असम में बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) के अंतर्गत मामलों में अचानक वृद्धि
  यह दिखाती है कि **प्रशासनिक वर्गीकरण में परिवर्तन** किस प्रकार अपराध के आँकड़ों को नाटकीय रूप से बदल सकता है —
  और पहले **अवर्गीकृत या छिपी समस्याओं** को उजागर कर सकता है।

---

2. संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes for Vulnerable Sections)

कैसे उपयोग करें:

यह डेटा इस बात पर बल देता है कि **बच्चों की सुरक्षा के लिए संस्थागत ढाँचे** —
जैसे *बाल न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board)* और *बाल कल्याण समितियाँ (Child Welfare Committees)* —
अधिक प्रभावी और सक्रिय रूप से कार्य करें।

यह विश्लेषण बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के **कार्यान्वयन, निगरानी और सामाजिक जागरूकता**
तीनों पहलुओं को जोड़कर देखने का अवसर देता है।

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का सुधार

1. संदर्भ

जून में ब्रिटेन की संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) ने *टर्मिनली इल एड्ल्ट्स (एंड ऑफ लाइफ) बिल* पारित किया, जिससे विश्वभर में इच्छामृत्यु पर बहस फिर से शुरू हुई।

यह विधेयक डॉक्टरों को उन वयस्कों की सहायता करने की अनुमति देता है जो असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं और जिनकी जीवन प्रत्याशा छह महीने से कम है (उचित प्रमाणन और निगरानी के अधीन)।

यह अब *हाउस ऑफ लॉर्ड्स* की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है। यह कदम नैतिक और कानूनी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है — जिसे कई पश्चिमी देशों ने पहले ही अपनाया है।

---

2. भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के माध्यम से *निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)* को मान्यता दी है, जबकि *सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)* को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है।

हालांकि, भारत की

- सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था,
- संस्थागत कमजोरियाँ, और
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ

यह दर्शाती हैं कि ब्रिटेन जैसे सक्रिय इच्छामृत्यु मॉडल को भारत शीघ्र नहीं अपनाएगा।

भारत में सुधार आवश्यक है — परंतु भारतीय वास्तविकताओं के अनुरूप।

---

3. वर्तमान कानूनी स्थिति — निष्क्रिय इच्छामृत्यु

परिभाषा:

जब किसी व्यक्ति की रिकवरी संभव नहीं होती, तब जीवन-रक्षक उपचार (life-support treatment) को हटा लिया जाता है — यह "हत्या" नहीं, बल्कि मृत्यु को प्राकृतिक रूप से होने देना है।

व्यावहारिक कठिनाइयाँ:

कानूनी मान्यता होने के बावजूद, इसकी उपलब्धता बहुत कठिन है।
शर्तें शामिल हैं —

- अग्रिम निर्देश (Advance Directive)
- दो चिकित्सकीय बोर्डों की स्वीकृति
- कभी-कभी न्यायालय की अनुमति

परिणाम:

गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए यह प्रक्रिया अत्यधिक धीमी और जटिल है।

जमीनी हकीकत:

- परिवार अक्सर कानूनी स्पष्टता के बिना ही निर्णय ले लेते हैं।
- अस्पताल और डॉक्टर कानूनी दायित्व के भय से हिचकते हैं।
- एकसमान कार्यान्वयन प्रणाली की अनुपस्थिति से कानून का उद्देश्य —

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

"गरिमा के साथ मृत्यु" — कमजोर पड़ता है।

---

4. प्रणालीगत चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
स्वास्थ्य प्रणाली	विखंडित, संसाधनहीन और असमान
सामाजिक संदर्भ	परिवार का दबदबा, धार्मिक संवेदनशीलता और साक्षरता की विविधता — अंत-जीवन निर्णयों को जटिल बनाती है
चिकित्सा अवसंरचना	अपर्याप्त उपशामक देखभाल (palliative care); इलाज की ऊँची लागत से नैतिक दुविधाएँ और दबाव उत्पन्न
नैतिक दुविधा	गरीब, वृद्ध या आश्रित रोगी "मृत्यु चुनने" के लिए मानसिक रूप से दबाव महसूस कर सकते हैं

---

5. ⚖️ न्यायशास्त्रीय (Jurisprudential) चिंताएँ

संविधान का **अनुच्छेद 21** "जीवन और गरिमा के अधिकार" की गारंटी देता है।

परंतु न्यायालयों का मत है —

- "मरने का अधिकार" अपने आप "जीने के अधिकार" से नहीं निकलता।
- "निष्क्रियता" (मृत्यु को होने देना) और "सक्रियता" (मृत्यु कराना) के बीच एक महीन रेखा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर सतर्क और नैतिक रूप से संयमित दृष्टिकोण अपनाया है, जो भारतीय सामाजिक परिदृश्य के अनुरूप है।

---

6. भारत का अपना रास्ता

भारत को सक्रिय इच्छामृत्यु की ओर नहीं, बल्कि **निष्क्रिय इच्छामृत्यु के सरलीकरण और सुधार** की दिशा में बढ़ना चाहिए।

संभावित सुधार:

- **डिजिटल अग्रिम निर्देश पोर्टल:**
  - आधार से जुड़ा हुआ जैव-प्रमाणीकरण (biometric authentication)
  - मरीज अपने निर्देश डिजिटल रूप में बना, संशोधित और सत्यापित कर सके
  - डॉक्टरों और परिवार के लिए सुलभ
- **डिजिटल निगरानी ढाँचा (Oversight Framework):**

- अस्पताल-आधारित नैतिक समितियों और स्थानीय चिकित्सा बोर्डों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत प्रणाली
- अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप और देरी से बचाव

- **स्वतंत्र पर्यवेक्षण:**
  - चिकित्सीय लेखापरीक्षक (medical auditors) और स्वास्थ्य आयुक्तों की नियुक्ति
  - डिजिटल डैशबोर्ड से निगरानी और दुरुपयोग की रोकथाम

---

7. प्रस्तावित सुरक्षा उपाय

सुरक्षा उपाय	उद्देश्य
48 घंटे की "शांत-काल" अवधि	निर्णय पूरी जानकारी के साथ लिया जाए
अनिवार्य उपशामक देखभाल समीक्षा	कोई रोगी उपचार की कमी के कारण मृत्यु न चुने
मनोवैज्ञानिक परामर्श	रोगी और परिवार की मानसिक भलाई सुनिश्चित करना
चिकित्सीय लेखापरीक्षा प्रणाली	नैतिक अनुपालन की निगरानी और पारदर्शिता

---

8. 💬 भारत का संवैधानिक वादा

"जीवन में गरिमा का अधिकार — मृत्यु में भी गरिमा का अधिकार बनना चाहिए।"

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "गरिमा के साथ मरने का अधिकार" स्वाभाविक रूप से निहित है।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु का सुधार मानवीय गरिमा के अनुरूप है — उसके विपरीत नहीं।

कानून को प्रक्रिया को **मानवीय, कुशल और भ्रष्टाचार-मुक्त** बनाना चाहिए — न कि जटिल।

9. वैश्विक तुलना

ब्रिटेन (U.K.)	भारत
सक्रिय इच्छामृत्यु को वैध करने की दिशा में नया कानून	केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति
सशक्त स्वास्थ्य तंत्र और स्पष्ट निगरानी	खंडित प्रणाली, नैतिक-सांस्कृतिक झिझक, कमजोर कार्यान्वयन

ब्रिटेन (U.K.)	भारत
रोगी की स्वायत्तता पर बल	परिवार, धर्म और नैतिक सतर्कता पर बल

10. आगे की राह

- अंत-जीवन से जुड़े दस्तावेजों और निर्णयों को **डिजिटल और विकेन्द्रीकृत** बनाया जाए।
- **चिकित्सा नैतिकता और विधि** को डॉक्टरों की प्रशिक्षण प्रक्रिया में जोड़ा जाए।
- **जन-जागरूकता अभियान:**
  - इच्छामृत्यु पर चर्चा को कलंक-मुक्त करना।
  - अग्रिम देखभाल योजना (advance care planning) को प्रोत्साहन।

संतुलन: करुणा और सावधानी — दोनों का पालन; शोषण से बचाव और रोगी की सुरक्षा।

11. निष्कर्ष

भारत की निष्क्रिय इच्छामृत्यु व्यवस्था को **सुधार** की आवश्यकता है, **उलटने** की नहीं।

उद्देश्य: "गरिमा के साथ मृत्यु" — जिसमें करुणा, वैधता और नैतिकता का संतुलन हो।

मुख्य ध्यान होना चाहिए —

- डिजिटल सरलीकरण,
- विकेन्द्रीकृत निगरानी, और
- मानव-केंद्रित सुरक्षा उपायों पर।

इसी मार्ग से भारत एक ऐसा **मानवीय, समानतापूर्ण और व्यावहारिक अंत-जीवन देखभाल मॉडल** विकसित कर सकता है जो उसके **संवैधानिक मूल्यों** के अनुरूप हो।

HOW TO USE

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था)

1. भारतीय संविधान — मौलिक अधिकार:

- **कैसे उपयोग करें:** पूरी बहस अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमती है।
- **अनुच्छेद 21 का विकास:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "गरिमा के साथ मरने के अधिकार" के हिस्से के रूप में "निष्क्रिय इच्छामृत्यु" को मान्यता देना मौलिक अधिकारों के न्यायिक विस्तार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आप इसकी तुलना इसके पहले के उस रुख से कर सकते हैं कि "जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है।"
- **न्यायिक सक्रियता बनाम विधायी खाई:** कानून की अनुपस्थिति में

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए एक कानूनी ढाँचा बनाने के लिए अदालत का आगे आना, विधायी शून्यता को भरने की न्यायिक सक्रियता की घटना को उजागर करता है। यह भारतीय राजव्यवस्था में एक आवर्ती विषय है।

2. सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप:

- **कैसे उपयोग करें:** यह लेख एक प्रगतिशील न्यायिक निर्णय और जमीनी हकीकत के बीच के कार्यान्वयन अंतर को उजागर करता है।
- **नीति विश्लेषण:** "प्रणालीगत चुनौतियाँ" और "वर्तमान कानूनी स्थिति" खंड एक तैयार-किया गया समालोचना प्रदान करते हैं। प्रक्रिया "दर्दनाक रूप से धीमी और नौकरशाही" है, और अस्पताल "दायित्व के डर से हिचकिचा" रहे हैं। यह कई अच्छे इरादों वाली नीतियों के साथ एक सामान्य समस्या है।
- **शासन समाधान:** "प्रस्तावित सुधार" खंड ठोस, प्रौद्योगिकी-आधारित शासन समाधान प्रस्तुत करता है:
    - आधार से जुड़े डिजिटल लिविंग विल (अग्रिम निर्देश) पोर्टल।
    - अस्पताल नैतिकता समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत निगरानी।
    - ये सुझाव प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पहुँच में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस के उपयोग की समझ दर्शाते हैं।

मजबूत प्रासंगिकता: जीएस पेपर IV (नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति)

यह मुद्दा नैतिक दुविधाओं का एक भंडार है, जो इसे जीएस पेपर IV के लिए एकदम सही बनाता है।

1. नैतिक दुविधाएँ और पहेलियाँ:

- **कैसे उपयोग करें:** बहस का केंद्र दो नैतिक सिद्धांतों के बीच एक द्वंद्व प्रस्तुत करता है।
- **स्वायत्तता बनाम जीवन की पवित्रता:** एक व्यक्ति के गरिमामय मृत्यु का चयन करने के अधिकार (स्वायत्तता) बनाम यह नैतिक और धार्मिक सिद्धांत कि जीवन पवित्र है और उसे हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए।
- **करुणा बनाम दुरुपयोग की संभावना:** पीड़ा को कम करने का नैतिक कर्तव्य (करुणा) बनाम यह

जोखिम कि इच्छामृत्यु को वैध बनाने से बुजुर्गों, गरीबों या विकलांगों पर दबाव (हानिकारकता) बढ़ सकता है।

- **कर्म बनाम चूक:** अदालत द्वारा किसी को मरने देना (निष्क्रिय इच्छामृत्यु/चूक) और मृत्यु का कारण बनना (सक्रिय इच्छामृत्यु/कर्म) के बीच किया गया नैतिक भेद।

2. शासन में ईमानदारी (प्रोबिटी):

- **कैसे उपयोग करें:** दुरुपयोग को रोकने और सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपाय नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
- एक लोक सेवक को इस नीति को डिजाइन करते समय ऐसे तंत्र बनाकर ईमानदारी सुनिश्चित करनी चाहिए जैसे कि ठंडा होने की अवधि, अनिवार्य पैलिएटिव केयर समीक्षा, और चिकित्सा लेखा परीक्षा आदि।

भारतीय न्यायपालिका की आलोचना पर प्रश्न उठाना

मुख्य विचार

यह लेख भारतीय न्यायपालिका की *गलत और अस्पष्ट आलोचना* का बचाव करता है — विशेष रूप से उन नीति-निर्माताओं द्वारा की गई आलोचना का, जो भारत की शासन व्यवस्था और आर्थिक अक्षमताओं का दोष *न्यायिक देरी* और *न्यायिक सक्रियता* (judicial activism) पर मढ़ते हैं।

लेखक का तर्क है कि ऐसी आलोचना उन *संरचनात्मक और विधायी कमियों* को नज़रअंदाज़ करती है, जो न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ डालती हैं।

संरचना और मुख्य बिंदु

1. प्रस्तावना — "न्यायालय" एक आसान दोषी

भारत में नीति-निर्माता अक्सर विकास में बाधा के लिए अदालतों को जिम्मेदार ठहराते हैं।

सुहिर्थ ने *संजयव सन्याल* (आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य) की टिप्पणी का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका भारत के "विकसित राष्ट्र (Viksit Bharat)" बनने में *सबसे बड़ी बाधा* है।

2. संजयव सन्याल की टिप्पणी की आलोचना

ऐसी टिप्पणियाँ न्यायपालिका को *कार्टूननुमा रूप* में पेश करती हैं।

वास्तविकता यह है कि न्यायालय *अवरोधक नहीं*, बल्कि *अत्यधिक बोझ से ग्रस्त और संसाधनों की कमी से जूझ रहे संस्थान* हैं।

ऐसा दोषारोपण सरकार की गहरी शासन-सम्बंधी विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक तरीका है।

3. गलतफहमी का उदाहरण — *कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट (2015)* की धारा 12A

संजयव सन्याल ने धारा 12A का उदाहरण दिया, जो मुकदमे से पहले *मध्यस्थता (pre-suit mediation)* को अनिवार्य बनाती है।

उन्होंने कहा कि अदालतें इसे सही ढंग से लागू नहीं कर रहीं।

परंतु सच्चाई यह है कि —

- कानून का मसौदा अस्पष्ट और खराब तरीके से तैयार किया गया है।
- अदालतें बस उन अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या करने की कोशिश कर रही हैं।

समस्या न्यायपालिका की नहीं, बल्कि विधायी अस्पष्टता की है।

4. न्यायपालिका — शासन तंत्र की परछाई

भारतीय न्यायपालिका उन्हीं अक्षमताओं को दर्शाती है जो *शासन व्यवस्था* में विद्यमान हैं।

- अस्पष्ट कानून और मनमाने कार्यपालिका निर्णय न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ डालते हैं।
- *कर कानून, भूमि नियमन* और *नौकरशाही प्रक्रियाएँ* — सभी अनावश्यक मुकदमेबाज़ी को जन्म देते हैं।

5. देरी के विधायी और तंत्रगत कारण

- *अतिनियमन (overregulation)* और लगातार बदलते कानून न्यायिक भार बढ़ाते हैं।
- उदाहरण: नया *आयकर अधिनियम* — जिसे "सरलीकरण" कहा गया, परंतु उसने पुराने मसलों को नए रूप में पेश किया।

परिणाम: अस्पष्ट विधायी भाषा → अलग-अलग व्याख्याएँ → अधिक मुकदमे।

6. न्यायालय प्रणाली स्वयं

अक्सर कहा जाता है कि अदालतों का कामकाज का समय (सुप्रीम कोर्ट: सुबह 10:30 से शाम 4 बजे; हाई कोर्ट कुछ अधिक) न्यायिक देरी का कारण है।

वास्तविकता:

न्यायाधीश आधिकारिक समय के अलावा भी व्यापक कार्य करते हैं —

- मामलों का अध्ययन,
- निर्णय लेखन,
- न्यायशास्त्र का अध्ययन,
- प्रशासनिक व चैंबर संबंधी कार्य।

इसलिए केवल "कार्य समय" को अक्षमता का कारण बताना भ्रामक है।

7. सबसे गंभीर समस्या — *निचली न्यायपालिका*

सबसे बड़ा लंबित मामलों का बोझ **जिला अदालतों** पर है — जहाँ आम नागरिक सबसे पहले न्याय मांगने आता है।

देरी के कारण:

- कमजोर बुनियादी ढाँचा,
- पर्याप्त न्यायाधीशों की कमी,
- प्रशासनिक उपेक्षा।

फिर भी, सार्वजनिक असंतोष उच्च न्यायपालिका पर केंद्रित रहता है — जबकि वास्तविक कमियाँ *विधायी और कार्यकारी स्तर* पर हैं।

8. निष्कर्ष — गलत दिशा में आरोप

न्यायपालिका की धीमी गति या सक्रियता की आलोचना एक *सरल लेकिन गलत कथा* है।

वास्तविक सुधार के लिए आवश्यक है:

- बेहतर कानून निर्माण और मसौदा लेखन,
- प्रशासनिक व बुनियादी ढाँचे का सुधार,
- यह स्वीकार करना कि न्यायपालिका प्रणालीगत सीमाओं के भीतर काम करती है।

सारांश में:

न्यायपालिका पर दोषारोपण आसान है, पर न्यायिक संकट का समाधान तभी संभव है जब शासन, विधायिका और कार्यपालिका अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार करें और प्रणालीगत सुधार करें।

HOW TO USE IT

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन, संविधान, राजव्यवस्था)

यह सबसे सीधा और मजबूत संबंध है। यह विषय "न्यायपालिका" और "अंगों का पृथक्करण" के अंतर्गत आता है।

1. न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कFunctioning:

- **कैसे उपयोग करें:** यह लेख उस सरलीकृत Narrative का एक मजबूत खंडन प्रस्तुत करता है जो सभी देरी के लिए न्यायपालिका को दोषी ठहराती है।
- **दोष का स्थानांतरण:** न्यायपालिका की समस्याओं (लंबित मामले, रिक्तियां) की सूची बनाने के बजाय, आप इस लेख का उपयोग यह तर्क देने के लिए कर सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका समान रूप से, यदि अधिक नहीं, तो जिम्मेदार हैं। न्यायपालिका व्यापक शासन विफलताओं का एक "दर्पण" है।

- **मूल कारण विश्लेषण:** मुख्य तर्क यह है कि अस्पष्ट और खराब तरीके से तैयार किए गए कानून (जैसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12A का उदाहरण) मुकदमेबाजी का एक प्राथमिक स्रोत हैं। जब कानून अस्पष्ट होते हैं, तो वे कई व्याख्याओं और विवादों को आमंत्रित करते हैं, जो अनिवार्य रूप से अदालत में पहुँचते हैं। यह सिर्फ "बहुत अधिक मामले हैं" कहने से कहीं अधिक गहन बिंदु है।

2. विभिन्न अंगों के बीच शक्ति पृथक्करण:

- **कैसे उपयोग करें:** प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (संजीव सान्याल) के एक सदस्य की आलोचना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव का उदाहरण है।
- आप इसका उपयोग इस बात पर चर्चा करने के लिए कर सकते हैं कि कैसे कार्यपालिका अक्सर विकास परियोजनाओं को धीमा करने के लिए न्यायपालिका को दोष देती है, जबकि न्यायपालिका की भूमिका कानून के शासन और मौलिक अधिकारों को बनाए रखने की है, जिसके लिए कभी-कभी कार्यपालिका की कार्रवाइयों की जांच करनी पड़ती है।

3. लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका:

- **कैसे उपयोग करें:** लेख स्पष्ट रूप से ब्यूरोक्रेसी (कार्यपालिका) की समस्या पैदा करने में भूमिका को उजागर करता है।
- **मसौदा तैयार करने की गुणवत्ता:** कानूनों का "अस्पष्ट मसौदा" सरकार के मंत्रालयों और विधायी विभागों के भीतर विफलता की ओर इशारा करता है। एक सिविल सेवक का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नीतियां और कानून स्पष्ट, सटीक और न्यूनतम रूप से मुकदमेबाजी वाले हों।
- **प्रशासनिक उपेक्षा:** निचली न्यायपालिका (अवसंरचना, कर्मचारी) की उपेक्षा भी एक कार्यपालक विफलता है। एक उत्तरदायी प्रशासन न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने को प्राथमिकता देगा।

अनुपालन सुनिश्चित करें

जो कंपनियाँ घटिया गुणवत्ता की दवाइयाँ बनाती हैं, उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए

---

1. मूल मुद्दा और संदर्भ

मुख्य चिंता: भारत के औषधि (फार्मास्युटिकल) क्षेत्र में *घटिया गुणवत्ता नियंत्रण* और *नियमों के उल्लंघन* की गंभीर समस्या।

विशेष घटना: *"कोल्ड्रिफ़" (Coldrif)* नामक खांसी की दवा से *राजस्थान और मध्य प्रदेश में कम से कम 14 बच्चों की मृत्यु* जुड़ी पाई गई।

वृहद समस्या: खांसी की सिरप में मिलावट की घटनाएँ बार-बार सामने आ रही हैं, जिससे भारत की "वैश्विक औषधि निर्माण केंद्र" बनने की आकांक्षा को खतरा है।

🔬 **2. प्रमुख निष्कर्ष और कार्रवाई**

पहचाना गया दूषक (Contaminant):
तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की जाँच में *डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG)* की मात्रा *अनुमेय सीमा से अधिक* पाई गई।

विरोधाभासी रिपोर्टें:

- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश से लिए गए नमूनों में DEG नहीं मिला।
- परंतु तमिलनाडु की जाँच में *एक बैच में DEG की पुष्टि* हुई।

मिलावट का स्रोत:
दूषित बैच में *ग़ैर-फार्माकोपियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल* का उपयोग किया गया, जिससे *डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG)* और *एथिलीन ग्लाइकॉल* (दोनों *गुर्दे को नुकसान पहुँचाने वाले विषैले रसायन*) मिश्रित हो गए।

नियम उल्लंघन:
निर्माण इकाई ने *गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP)* और *गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस (GLP)* दोनों का उल्लंघन किया।

की गई कार्रवाई:

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने *कंपनी का निर्माण लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश* की।
- मध्य प्रदेश में सिरप की *सिफारिश करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार* किया गया।

3. नियामक प्रतिक्रिया

प्रेरक घटना: तमिलनाडु की रिपोर्ट और बच्चों की मौतों ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया।

केंद्र सरकार का निर्देश:
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी औषधि निर्माताओं को *संशोधित शेड्यूल M मानकों* के अनुरूप *कड़े अनुपालन* का आदेश दिया।

🧭 **4. सिफारिशें और आगे की दिशा**

शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance):
सरकार को *घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए बिल्कुल भी सहिष्णुता न दिखाने* की नीति अपनानी चाहिए।

सक्रिय निगरानी (Proactive Monitoring):
दवा के बैचों की *नियमित और आकस्मिक जाँच*

की जानी चाहिए — *"बाज़ की नज़र" जैसी निगरानी* प्रणाली लागू होनी चाहिए।

कड़ा प्रवर्तन (Strict Enforcement):
हर उल्लंघन पर *तुरंत और सख्त कार्रवाई* होनी चाहिए — केवल मौतों के बाद नहीं।

निवारक संदेश (Deterrence):
उद्योग को यह *स्पष्ट संदेश* देना आवश्यक है कि *लापरवाही, घटिया उत्पादन या नियम उल्लंघन* जिससे जीवन खतरे में पड़ता है, उसे *कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।*

सारांश:
भारत की "फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड" की छवि को बचाने के लिए अब समय आ गया है कि औषधि निर्माण में गुणवत्ता मानकों का *कड़ाई से पालन* कराया जाए — न कि केवल प्रतिक्रिया के रूप में, बल्कि एक *निवारक और प्रणालीगत सुधार* के रूप में।

How to use it

1. शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance, Transparency and Accountability)

कैसे उपयोग करें:
यह घटना एक *क्लासिक उदाहरण* है कि जब *नियामक व्यवस्था तो मौजूद होती है पर उसका कार्यान्वयन कमजोर होता है,* तब किस प्रकार शासन विफल होता है।

🔷 **कार्यान्वयन की कमी (Implementation Gap):**
भारत के पास दवा क्षेत्र के लिए *नियामक ढाँचा* (जैसे CDSCO, Schedule M norms) मौजूद है,
परंतु उसका *प्रभावी प्रवर्तन* कमजोर है।
यदि कोई कंपनी *गैर-फार्माकोपियल ग्रेड (non-pharmacopoeial grade)* सामग्री का उपयोग कर सकती है, तो यह *निगरानी तंत्र की विफलता* को दर्शाता है।
यह भारतीय शासन की एक आम समस्या है — **मजबूत कानून, लेकिन कमजोर क्रियान्वयन।**

🔷 **जवाबदेही की कमी (Lack of Accountability):**
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और तमिलनाडु एजेंसी की *विरोधाभासी रिपोर्टें* यह दिखाती हैं कि भारत में *मानकीकृत प्रोटोकॉल* और *पारदर्शिता* का अभाव है, जिससे *जवाबदेही (Accountability)* कमजोर पड़ जाती है।

2. लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका (Role of Civil Services in Democracy)

कैसे उपयोग करें:
यह मामला *प्रशासनिक और नैतिक दुविधा (ethical & administrative challenge)* का उत्कृष्ट उदाहरण है, विशेषकर **CDSCO** और **राज्य औषधि नियंत्रण विभागों** में कार्यरत सिविल सेवकों के लिए।

कर्तव्य बनाम दबाव (Duty vs. Pressure):
उनका कर्तव्य है — *जनसुरक्षा सुनिश्चित करना*

और *कड़ी निगरानी ("hawk-like monitoring")* बनाए रखना।
लेकिन उन्हें उद्योग या राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है कि *उद्योग के विकास में बाधा न बने।*
ऐसे में *ईमानदारी (Integrity)* और *नैतिकता (Probity)* बनाए रखना एक सिविल सेवक का *मूल दायित्व* है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर-III (अर्थव्यवस्था और सुरक्षा / Economy & Security)

यह विषय **आर्थिक प्रतिष्ठा** और **जनसुरक्षा** दोनों से संबंधित है।

---

1. भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना से जुड़े मुद्दे (Indian Economy and Issues relating to Planning)

कैसे उपयोग करें:
यह घटना सीधे भारत की एक प्रमुख *आर्थिक महत्वाकांक्षा* को चुनौती देती है।

"ब्रांड इंडिया" पर असर:
भारत "**विश्व की फार्मेसी (Pharmacy of the World)**" बनने का लक्ष्य रखता है।
लेकिन ऐसी गुणवत्ता संबंधी विफलताएँ भारत की *अंतरराष्ट्रीय साख* को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे *निर्यात बाजारों* में हानि और *तेजी से बढ़ते उद्योग* की गति पर असर पड़ता है।

व्यापार सुगमता पर प्रभाव (Ease of Doing Business):
जब नियामक प्रणाली कमजोर होती है और *लापरवाह कंपनियाँ* खुलेआम चलती हैं,
तो *ईमानदार कंपनियों* के लिए *असमान प्रतिस्पर्धा* का माहौल बनता है।
यह "Ease of Doing Business" की भावना को कमजोर करता है।

---

2. आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

कैसे उपयोग करें:
बच्चों की मौतें *प्रदूषित दवा के कारण हुईं*— यह एक *मानव-निर्मित आपदा (Man-made disaster)* है।

यह दर्शाता है कि *जन स्वास्थ्य क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction)* विफल रहा।
यदि *सक्रिय निगरानी* और *कड़ा प्रवर्तन* (जैसा कि लेख में सुझाया गया) पहले से लागू होता, तो यह त्रासदी टाली जा सकती थी।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"